

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक:- शिविरा/माध्य/लेखा/डी-2/28012/18-19

दिनांक: 09.10.2018

समस्त उपनिदेशक/
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा।

विषय :- निःशुल्क साईकिल, लेपटॉप एवं स्कूटी का वितरण तुरंत प्रभाव से
रोकने बाबत ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 06.10.2018 को राजस्थान विधानसभा चुनाव, 2018 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विभाग द्वारा संचालित सभी व्यक्तिगत लाभ की योजनाएँ यथा कक्षा 09 की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण योजना, सामान्य वर्ग (आर्थिक पिछड़ा वर्ग) कक्षा 10 व 12 की मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण एवं कक्षा-8, 10 एवं 12 के मेधावी विद्यार्थियों को लेपटॉप का वितरण आगामी आदेशों तक नहीं किया जावे । जिले में प्राप्त साईकिल, लेपटॉप एवं स्कूटी की सुरक्षा सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करे।


(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान ।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर

www.rajteachers.com


(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर